


मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 24/01/2025

क्र. IPI/5/0012/2024/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स मैक्सन हेल्थ केयर प्रा. लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र- मंडीदीप, तहसील- गोहरगंज, जिला- रायसेन में रूपये 141.24 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से खाद्य प्रसंस्करण इकाई की विविधीकरण संबंधी प्रस्ताव (DIP2309230002) पर निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता- उद्योग सवंधन नीति 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता शर्तों के अध्याधीन 7 वार्षिक किश्तों में प्रदान की जाये।
2. विद्युत टैरिफ में रियायत- परियोजना हेतु नवीन विद्युत संयोजन/ विद्यमान विद्युत संयोजन पर लिए गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षों हेतु रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जायेगी।
3. विद्युत शुल्क से छूट- परियोजना हेतु नवीन विद्युत संयोजन/ विद्यमान विद्युत संयोजन पर लिए गये अतिरिक्त विद्युत भार पर देय विद्युत शुल्क से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु छूट प्रदान की जाये।
4. परियोजना को उद्योग सवंधन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
5. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
6. स्वीकृत समस्त सुविधाओं का लाभ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत निर्धारित समय-सीमा में एमपीआईडीसी को आवेदन प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगा।
7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


(शाश्वत सिंह मीना)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
निरंतर

पृ. क्र. IPI/5/0014/2024/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24/01/2025

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
 4. कलेक्टर, जिला- रायसेन।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
 6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स मैक्सन हेल्थ केयर प्रा. लि., 6A, Sector-D, Industrial Area, Mandideep, District Raisen (M.P.) - 462046।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग